पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राम नरेश सिंह

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2022 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 25

30 अगस्त 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली और माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

विचार के लिए मुद्दा

क्या प्रतिवादियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी करने वाला विवादित निर्णय सही है या नहीं?

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता---धारा 372---बरी किए जाने के विरुद्ध अपील जिसके तहत निजी प्रतिवादियों को धारा 302, 34 आईपीसी और 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपों से बरी किया गया।

निर्णय:- अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह पता चलता है कि सूचक, जो मृतक का पिता है, द्वारा दिए गए फर्दबयान से यह कहा जा सकता है कि प्रश्नगत घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और उक्त फर्दबयान के अनुसार तीन व्यक्तियों को घटना स्थल से भागते हुए देखा गया था। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान से यह पता चलता है कि सभी गवाह मृतक के निकट संबंधी हैं और उक्त गवाहों द्वारा दिए गए बयान को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है और केवल उक्त गवाहों के बयान के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती---एकमात्र स्वतंत्र गवाह के बयान से मृतक द्वारा अपनी पत्नी पी.डब्लू.-7 को दिए गए मृत्युपूर्व बयान के बारे में अभियोजन पक्ष का सिद्धांत गलत साबित होता है---- अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में बड़े विरोधाभास और विसंगतियां हैं जो वर्तमान प्रतिवादियों/अभियुक्तों द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी के संबंध में उचित संदेह पैदा करती हैं--- अभियोजन पक्ष प्रतिवादियों/अभियुक्तों के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा--- आलोचनापूर्ण निर्णय और दोषमुक्ति के आदेश की पुष्टि की जाती है। (पैरा- 21, 22)

न्याय दृष्टान्त

कोई विशिष्ट मामला कानून उद्धृत नहीं किया गया

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम।

मुख्य शब्दों की सूची

बरी किए जाने के विरुद्ध अपील---हत्या---संबंधित गवाह---स्वतंत्र गवाह---चश्मदीद गवाह---मृत्यु पूर्व बयान----अभियोजन पक्ष के मामले में विरोधाभास----उचित संदेह से परे।

प्रकरण से उत्पन्न

सत्र परीक्षण संख्या 19/2010 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-IX, बेगूसराय की अदालत द्वारा पारित दिनांक 05.08.2021 का निर्णय और बरी किए जाने का आदेश।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए: श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री संदीप कुमार गौतम, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री सत्य नारायण प्रसाद, स.लो.अ.

प्रतिवादियों के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गयाः घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 25

थाना कांड सं.- 129 वर्ष- 2009 थाना- बरौनी जिला- बेगुसराय से उत्पन्न

==========

राम नरेश सिंह उर्फ़ राम नरेश, पिता - शीतल सिंह उर्फ़ शीतल उर्फ़ स्व. शीतल, निवासी- गाँव- बिहट, गुरुदास तोला, ज़ीरो माइल, थाना- बरौनी, जिला- बेगुसराय

....अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. गोपाल सिंह, पिता - श्री उमेश सिंह, निवासी- गाँव-बिहट, गुरुदास टोला, ज़ीरो माइल, थाना -बरौनी, जिला - बेगुसराय ।
3. कन्हैया कुमार उर्फ़ कन्हैया सिंह, पिता - उमेश सिंह, निवासी गाँव-बिहट, गुरुदास टोला, ज़ीरो माइल, थाना - बरौनी, जिला - बेगुसराय।
4. सविता देवी, पति - श्री उमेश सिंह, निवासी- गाँव - बिहट, गुरुदास टोला, ज़ीरो माइल, थाना - बरौनी, जिला - बेगुसराय।
5. उमेश सिंह, पिता - स्वर्गीय शीतल सिंह, निवासी- गाँव-बिहट, गुरुदास टोला, ज़ीरो माइल, थाना - बरौनी, जिला-बेगुसराय।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री संदीप कुमार गौतम, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री सत्य नारायण प्रसाद, स.लो.अ.
उत्तरदाताओं के लिए	:	श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीखः 30-08-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसके बाद 'दं. प्र. सं. के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा-372 के तहत दायर की गई है जिसमें 2009 के बरौनी

(जेरोमाइल) थाना कांड सं. 129 के अनुरूप 2009 के जी. आर. केस नं. 1274 से उत्पन्न 2010 के सत्र परीक्षण सं. 19 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-IX, बेगुसराय, की अदालत द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय जिसमें निजी उत्तरदाताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है, के आदेश को चुनौती दी गई है।

2. श्री रमाकांत शर्मा, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप कुमार गौतम की सहायता से, श्री अजय कुमार ठाकुर, निजी उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता और श्री सत्य नारायण प्रसाद, प्रतिवादी-राज्य के लिए विद्वान स.लो.अ. को सुना गया ।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी, संक्षेप में, इस प्रकार हैः

"29 अप्रैल, 2009 को लगभग 1:30 बजे पूर्वाह्न, सूचक का बेटा (मृतक) पेशाब करने के लिए बाहर गया, जबकि परिवार के अन्य सदस्य सो रहे थे। कुछ बदमाश घात में बैठे थे जो उसके साथ हाथापाई में शामिल हो गए और बिल्कुल पास की दूरी से उसकी छाती पर गोली चला दी और भाग गए। राजेश आंगन में आया और शोर मचाते हुए अपने चाचा गणेश सिंह को बताया कि किसी ने उस पर गोली चला दी है। उन्होंने तुरंत गोपाल को उठने के लिए कहा । इन दो व्यक्तियों में से गोपाल ने छत से और चाचा ने जमीन से तीन लोगों को उत्तर की ओर रेलवे पुल की ओर भागते देखा। राजेश को खून से लथपथ देखकर कोई भी उपद्रवियों का पीछा करने का साहस नहीं कर सका। उन्होंने घायलों को बेगुसराय के डॉक्टर क्लीनिक में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने मरीज को पटना रेफर कर दिया। पटना जाते समय बख्तियारपुर के पास उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वे वापस लौट आए। मृतक बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह अपने घर के सामने एक दुकान चलाता था। कुछ दिन पहले उनकी दुकान में चोरी भी हुई थी।"

4. प्राथमिकी दाखिल करने के बाद, जांच एजेंसी ने जांच की और जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए, संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और

उसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था जहां इसे 2010 के सत्र परीक्षण सं. 19 के रूप में दर्ज किया गया था और अभियुक्त व्यक्तियों के बयान दं. प्र. सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए थे, जिसमें उन्होंने दोषी नहीं होने का प्रार्थना किया था।

5. अपीलार्थी/सूचक के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमाकांत शर्मा ने बरी किए जाने के विवादित फैसले को इस आधार पर चुनौती दी है कि परीक्षण न्यायालय ने चश्मदीद गवाह और मृतक के अन्य परिजनों द्वारा दिए गए बयान को खारिज करके गंभीर त्रुटि की है। यह दलील दिया जाता है कि वास्तव में, अ.सा. 1 रोहित कुमार ने बयान दिया है कि जब गोलीबारी और हंगामे की आवाज सुनकर वह उठा तो उसने टॉर्च की रोशनी में देखा कि आरोपी कन्हैया के पास छड़ थी और गोपाल के हाथ में पिस्तौल थी और उसके पिता आंगन में दर्द से कराह रहे थे। उन्होंने अपने पिता को उठाया और उन्हें गाड़ी में बिठाया। उस समय, वह बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि उन्हें मारने के लिए, सविता ने गोपाल को उकसाया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अ.सा. 7, मुन्नी देवी, जो मृतक की पत्नी हैं, ने विशेष रूप से यह बयान दिया है कि रात के लगभग 1:30 बजे में जब उसका पति पेशाब करने के लिए हैंडपंप की ओर गया, तो आरोपी गोपाल कुमार, कन्हैया कुमार, सविता देवी, उमेश सिंह, अमित कुमार, दो अन्य और अज्ञात व्यक्तियों के साथ घात में बैठे थे और गोपाल ने अपने पिस्तौल से उसके पति पर गोली चला दी। इस प्रकार, अ.सा. 7 प्रत्यक्षदर्शी है जिसने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन किया है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि अ.सा. 8 डॉ. अरुण कुमार, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था, ने भी चश्मदीद गवाह के बयान का समर्थन किया है, जिसके बावजूद निचली अदालत ने प्रतिवादियों/अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया है और इस तरह उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि

वर्तमान अपील पर विचार करने की आवश्यकता है और इस तरह, यह अपील स्वीकार किया जाए और उसके बाद विवादित निर्णय को रद्द किया जाए और उसे खारिज किया जाए।

6. दूसरी ओर, निजी उत्तरदाताओं/अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। यह तर्क दिया गया है कि मृतक के पिता (सूचक) द्वारा दिए गए फरदबेयान से यह पता चलता है कि किसी ने भी इस घटना को नहीं देखा है, लेकिन गोपाल ने छत से देखा और मुखबिर के चाचा ने जमीन से तीन लोगों को रेलवे पुल की ओर भागते देखा। फरदबेयान से, यह कहा जा सकता है कि मृतक की पत्नी द्वारा हमलावरों को उसके पति की हत्या करते हुए देखने के संबंध में उक्त फरदबेयान में कोई संदर्भ नहीं है। अन्य तथाकथित गवाहों का कोई संदर्भ नहीं है जो घटना स्थल पर मौजूद थे। इसलिए निजी उत्तरदाताओं/अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मृतक की पत्नी द्वारा दिए गए उक्त कथन को निचली अदालत द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक की पत्नी अ.सा. 7 का बयान पुलिस द्वारा विचाराधीन घटना के कुछ दिनों बाद दर्ज किया गया था। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने उचित रूप से उस पर भरोसा नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अभियोजन पक्ष प्रतिवादियों/अभियुक्तों के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। इसलिए, निचली अदालत ने बरी करने का आक्षेपित निर्णय पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की है।

7. विद्वान स.लो.अ. ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायालय उचित आदेश पारित कर सकता है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रचार की गई दलीलों पर विचार किया है।ह मने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का भी अध्ययन किया है और प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य का भी अध्ययन किया है।

9. इस स्तर पर, हम विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य के प्रासंगिक उद्धरण की सराहना करना चाहेंगे।

10. निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों से पूछताछ की।

11. अ.सा. 1 रोहित कुमार, मृतक राजेश सिंह का बेटा है। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना 28.04.2009 को रात लगभग 1:30 - 2: 00 बजे हुई थी। लगभग 5:00-6:00 बजे शाम को आरोपी उमेश सिंह और सविता देवी उसके पिता राजेश सिंह (मृतक) को गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर वह मामला जीत भी जाता है तो उसे जमीन नहीं मिलेगी। इसके बाद गवाह अपनी दुकान पर चला गया और 10:00 बजे लौटा, सविता देवी, उमेश सिंह, गोपाल कुमार, कन्हैया कुमार और अमित कुमार आंगन में बैठे थे और एक साथ बात कर रहे थे। वह सोने चला गया। गोलीबारी और हंगामे की आवाज सुनकर वह 1:30 बजे उठा और हाथ में टॉर्च लिए हुए हस्तक्षेप किया और देखा कि कन्हैया के पास छड़ थी और गोपाल के हाथ में पिस्तौल थी। उसके पिता आंगन में रो रहे थे। उसने अपने पिता को उठाया और गाड़ी में बिठाया। उनके पिता "सबितिया (अपशब्द) हमको मरबा दी गोली गोपाल से मरबा दी" बोल रहे थे। उनकी माँ, सोनी कुमारी आदि उनके पिता के पास रो रही थीं। उस समय उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं बताया था। उसने बाद में बताया कि 1:30 बजे रात में उसके पिता पेशाब करने गए थे, जहाँ गोपाल, उमेश, कन्हैया कुमार, अमित कुमार और सविता देवी ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। वह हंगामा सुनकर वहाँ गई। उसने यह भी बताया कि सविता देवी उसे मारने का आदेश दे रही थी। कन्हैया कुमार ने उसके पिता के सिर के पीछे रॉड से वार किया। गोपाल कुमार ने उनकी छाती पर बाईं ओर से गोली चलाई।सविता देवी ने उनकी दाहिनी आंख पर ईंट फेंकी। गोपाल और अमित ने उसकी माँ को धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में बताया तो वे उसके बेटे और बेटी को मार देंगे। वह अपने पिता को बेगुसराय में डॉ. शशि भूषण के चिकित्सालय

ले गया। वह उन सभी अभियुक्तों की पहचान करने का दावा करता है जिनमें से उमेश सिंह उपस्थित हैं।

11.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि घटना के समय वह अपनी दुकान पर था। आरोपी उसके रिश्तेदार हैं। उनके चाचा के साथ भूमि-विवाद चल रहा था। उनकी उपस्थिति में उक्त मालिकाना हक के मुकदमे में कोई समझौता नहीं हुआ था। इसके अलावा उन्होंने उक्त भूमि के स्वामित्व के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया है। हल्ला सुनकर वह सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपने पिता को आसमान की ओर मुंह करके जमीन पर गिरते देखा। वह अपने पिता को एक ऑल्टो कार में अस्पताल ले गया। गाड़ी की व्यवस्था दिलीप कुमार ने की थी, गोपाल कुमार ने नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि उनके पिता की पटना जाते समय बख्तियारपुर में मृत्यु हो गई और वे लगभग 06:00-06:30 बजे घर लौट आए जब पुलिस पहले से ही वहाँ मौजूद थी। पुलिस ने किसके बयान दर्ज किए, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उस दिन उनकी मां मुन्नी देवी का बयान दर्ज नहीं किया गया था। उन्हें यह भी पता नहीं है कि उस दिन मामला दर्ज किया गया था या नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि उक्त घटना के 5-7 दिन बाद पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया था। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि उन्होंने पुलिस के सामने ऐसा नहीं कहा था जैसा कि उन्होंने अदालत में कहा था। वह उस जगह को जानता है जहाँ घटना हुई थी। घटना का स्थान हैंडपंप से 4-5 कदम उत्तर में है। उनका आंगन किसी चारदीवारी से घिरा नहीं है। उसके पिता आंगन में गिरे थे, जो उस स्थान से 5-7 कदम दूर जहाँ पर उनके पिता को गोली मारी गई थी, वहां कोई खून नहीं गिरा था, लेकिन उनकी बनियान (गंजी) पर खून लगा हुआ था जो उनकी छाती से निकल रहा था। जब गवाह आंगन में पहुँचा तो उसके पिता होश में थे और उनकी बहन, गणेश सिंह, गणेश सिंह की पत्नी और 1-2 अन्य लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने गलत बयान देने के सुझाव से इनकार किया है।

12. अ.सा.- 2 बच्ची देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के समय वह अपने कमरे में सो रही थी। गोलीबारी की आवाज सुनकर वह आंगन में आई और देखा कि उसकी बहू और पोती रो रही थीं। उसने देखा कि उसका बेटा राजेश दर्द से कराह रहा था और कह रहा था "सवितिया हमे गोपालवा से गोली" मारबा दिया है "। उसकी बहू ने उसे बताया कि उमेश, गोपाल, कन्हैया, अमित और सविता सभी ने मिलकर उसके बेटे पर हमला किया है जब वह बाहर पेशाब करने जा रहा था। गोपाल ने उस पर गोली चलाई थी जबकि अन्य लोगों ने ईंटें फेंकी थीं। गोली सीने के बाईं ओर लगी थी। उन्हें बेगुसराय अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। पटना जाते समय रास्ते में उनके बेटे की मौत हो गई। उक्त घटना से चार दिन पहले, उमेश ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह मामला जीत भी जाती है, तब भी उसे भूमि का आनंद नहीं लेने देंगें । वह सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान करने का दावा करती है, जिनमें उमेश सिंह भी शामिल है जो उपस्थित हैं। उसने आगे कहा है कि घटना के 6-7 दिन बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था।

13. अ.सा.-3 विनोद सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 28.04.2009 को रात में 01:30-02:00 बजे हुई। उस समय वह अपने घर में सो रहे थे। गोलीबारी की आवाज सुनकर वह आंगन में आए और अपने भाई राजेश सिंह को जमीन पर गिरा हुआ पाया। उनकी छाती के बाएँ हिस्से में गोली लगने से चोट आई थी। उन्होंने कहा, *"सविता देवी गोपाल को कहकर गोली मारवा दी है।"* उन्होंने कहा कि, घटना से पहले, उसी दिन, लगभग 04:00 बजे शाम को एक तरफ सविता देवी, उमेश सिंह, गोपाल, कन्हैया और अमित और दूसरी तरफ राजेश और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। अभियुक्त व्यक्तियों ने धमकी दी कि अगर वे (अभियोजन पक्ष) भूमि से संबंधित मामला जीत भी जाते हैं, तो भी वे उन्हें इसका आनंद नहीं लेने देंगे। जब वह घटना स्थल पर पहुंचे तो उनकी भाभी, भतीजी सोनी, भतीजे रोहित, रंजीत और संजीत रो रहे थे। रोहित ने एक वाहन की व्यवस्था

की और इस गवाह के भाई को बेगुसराय में डॉ. शशि भूषण के क्लिनिक में ले गया। वहाँ भी, उनके भाई ने अपने कथन को दोहराया जैसा कि ऊपर बताया गया है। आधे घंटे तक उनका इलाज करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें पटना रेफर कर दिया। जैसे ही वे बख्तियारपुर पहुँचे, उनके भाई की मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे कहा है कि उक्त भूमि-विवाद के लिए, आरोपी व्यक्ति पहले भी विवाद में शामिल थे। वह आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने का दावा करता है जिसमे उमेश सिंह भी शामिल है, जो उपस्थित है।

13.1. अपनी जिरह में उसने स्वीकार किया है कि वह अपने पिता के साथ रेलवे क्वार्टर में रहता है, लेकिन घटना के दिन वह रेलवे क्वार्टर में मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा है कि उनके पिता और चाचा उमेश के बीच भूमि-विवाद चल रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि मुन्नी देवी और इस गवाह के बयान घटना के 5-6 दिन बाद दर्ज किए गए थे। उसने कहा है कि उसने पुलिस के सामने बयान दिया था कि सविता देवी ने गोपाल को हत्या करने के लिए उकसाया था। उन्होंने अन्य गवाहों के बयानों को पढ़ने से इनकार किया है। उन्होंने आगे कहा है कि वे रात को 2:30-3:00 बजे डॉक्टर के पास पहुंचे थे। डॉक्टर ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। गवाह वहाँ 30-45 मिनटों तक रहा जिसके दौरान डॉक्टर ने इलाज किया। डॉक्टर ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन मरीज को लिखित रूप में पटना भेज दिया। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि राजेश की हत्या अज्ञात व्यक्तियों ने की थी और भूमि-विवाद के कारण, आरोपी व्यक्तियों को वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था।

14. अ.सा. 4 रंजीत कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 28.04.2009 रात में पर 1:30 बजे हुई थी । वह अपनी दुकान में सो रहा था और गोलीबारी की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ आया और देखा कि घर के पीछे उमेश सिंह, गोपाल सिंह, सविता देवी, अमित कुमार, कन्हैया कुमार तीनों भाग रहे थे। उसने युवराज होटल से और घर के पीछे लगे बिजली के बल्ब से आने वाली रोशनी में देखा कि गोपाल के पास पिस्तौल

थी और कन्हैया के हाथ में लोहे की छड़ थी। जब वह आंगन में गए तो उन्होंने अपने पिता को घायल देखा। उसके पिता कह रहे थे कि *"सवितिया ने गोपाल को कहा की गोली मार दो, तब गोपाल गोली मार दिया है।"* इस गवाह के भाई और विनोद यादव उनके पिता को बेगुसराय ले गए, लेकिन उनके पिता को बचाया नहीं जा सका। उनकी माँ ने उन्हें बताया कि रात में 1:30 बजे जब उसके पिता पेशाब करने के लिए हैंडपंप की ओर गए थे जब गोपाल, उमेश, सविता देवी, अमित और कन्हैया सभी ने उसे घेर लिया और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और सविता देवी के आदेश पर गोपाल ने उसके पिता पर गोली चला दी। कन्हैया ने उसके सिर के पीछे रॉड से वार किया और सविता ने उसके पिता की आंख के नीचे हमला किया। वह गोपाल सहित आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने का दावा करता है, जो मौजूद है।

14.1. अपनी जिरह में,उन्होंने आगे कहा है कि जब प्राथमिकी दर्ज किया गया था, तब वह वहां मौजूद थे। जैसा कि उन्होंने यहाँ कहा है, उन्होंने वहाँ भी कहा था। उन्होंने प्राथमिकी का अध्ययन किया है। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षण में जो कुछ भी कहा है, उसका उल्लेख प्राथमिकी में है। उन्हें याद नहीं है कि घटना के कितने दिनों बाद उनका बयान दर्ज किया गया था। उनका बयान अन्य लोगों की उपस्थिति में उनके आवास पर दर्ज किया गया। उन्होंने इस तथ्य से इनकार किया है कि उनके दादा ने उन्हें यह खुलासा करने के लिए कहा था कि किसने गोली चलाई थी। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने गोपाल, कन्हैया, सविता को नहीं पकड़ा। वह वाहन का विवरण, चालक का नाम और वाहन का नंबर जानने से इनकार करता है। उन्होंने यह कहने से इनकार किया है कि उन्होंने घर के पीछे से उमेश सिंह, गोपाल सिंह, सविता देवी, अमित कुमार और कन्हैया कुमार को भागते देखा था और गोपाल सिंह के हाथ में पिस्तौल थी और कन्हैया कुमार के हाथ में छड़ थी। इसके 3-4 मिनटों बाद, वह अपने पिता से मिला जो उस समय तक जीवित थे, जो खून से लथपथ थे, लेकिन बेहोश नहीं थे। उन्होंने देखा कि उनके सिर के पीछे और छाती के चोटों से खून बह

रहा था। उसने स्वीकार किया है कि पुलिस के सामने अपने बयान में वह कहा था कि "पापा बोल रहे थे की सवितिया ने गोपाल से कहा की गोली मार दो तब गोपाल ने गोली मार दिया।" उसे याद नहीं है कि जब उसने अपने पिता को देखा तो उस स्थान पर कितने लोग मौजूद थे।

15. अ.सा. 5 दिलीप कुमार एक स्वतंत्र गवाह हैं। उसने बयान दिया है कि वह मृतक राजेश सिंह को जानता है जिसकी बंदूक की गोली से घायल होने के कारण 29.04.2009 को मृत्यु हो गई थी। जब वह मृतक को अस्पताल ले जा रहा था, तो मृतक कुछ शब्द बोल रहा था, लेकिन उसके कहने से यह समझ में नहीं आ रहा था कि उस पर किसने गोली चलाई थी।

15.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि बिंदु देवी उर्फ मुन्नी देवी राजेश की पत्नी है। घटना के दिन वह अपने माता-पिता के घर पर थी। वह पोस्टमार्टम के बाद आई थी।

16. अ.सा. 6 राम नरेश सिंह, मृतक का पिता सूचक है उन्होंने बयान दिया है कि लगभग पाँच साल और दो महीने पहले, रात में लगभग 01:00-1:30 बजे में उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ सो रहा था।जब वह पेशाब करने के लिए आंगन की ओर गया, तो आरोपी व्यक्तियों ने उसकी छाती, सिर के पीछे और आंख के नीचे हमला किया और उसे घायल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह आंगन में गिर गया। अभियुक्त व्यक्तियों ने घटना का खुलासा होने पर परिवार के अन्य सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। घायल राजेश को बेगुसराय के सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने इस घटना को नहीं देखा था, बल्कि उन्हें घटना के तरीके बारे में उसकी बहू द्वारा सूचित किया गया था। वह सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान करने का दावा करता है। उन्होंने झूठे सबूत देने के सुझाव से इनकार किया है।

17. अ.सा. 7 मुन्नी देवी उर्फ बिंदु देवी मृतक राजेश सिंह की पत्नी हैं। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 28.04.2009 की रात को उसका पति उसके साथ सो रहा था। लगभग 1:30 बजे वह पेशाब करने के लिए हैंडपंप की ओर गया जब आरोपी व्यक्ति गोपाल कुमार, कन्हैया कुमार, सविता देवी, उमेश सिंह, अमित कुमार और दो अन्य घात में बैठे थे और गोपाल ने अपने पिस्तौल से उसके पति पर गोली चला दी। उसके पति आंगन में घायल हो गए और कहा कि सविता के आदेश पर गोपाल ने उन पर गोली चला दी। वह रोने लगी, जिस पर आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। अतीत में भी, एक विवाद हुआ था जिसमें अभियुक्त ने कहा था कि भले ही अभियोजन पक्ष मामला जीत जाए, लेकिन अभियुक्त व्यक्ति उन्हें संपत्ति का आनंद नहीं लेने देंगे। घटना के बाद उनके पति को बेगुसराय अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से उन्हें पटना भेज दिया गया, लेकिन पटना जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद, वह लगभग 15 दिनों तक अस्वस्थ और बेहोश थी, जिसके लिए उसका इलाज भी किया जाता था।

17.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि गोपाल भी उसके पति के साथ इलाज के लिए गया था। उसने इस बात से इनकार किया है कि घटना की तारीख को वह अपने माता-पिता के घर पर थी और उसने घटना के 15-20 दिनों बाद टेलीफोन पर पुलिस के सामने अपना बयान दिया था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि पक्षों के बीच भूमि-विवाद के कारण, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ यह झूठा मामला दर्ज किया गया है और उन्होंने गलत बयान दिया है।

17.2. परिवर्तित आरोप के आलोक में स्मरण कराये जाने पर अपनी आगे की जिरह में, उसने कहा है कि उसके पति को हैंडपंप के पास गोली मार दी गई थी। वहाँ जाने से पहले उसने गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी थी। उनके अलावा उनके परिवार का कोई और सदस्य वहां मौजूद नहीं था। केवल 5 अभियुक्त व्यक्ति उपस्थित थे। केवल एक

गोली चलाई गई थी। गोली पार नहीं हुई थी। गोली लगने के बाद उसका पति बेहोश नहीं था। चोट से खून निकला था और उसकी बनियान खून से लथपथ था। वह नहीं जानती कि बनियान कहाँ है। उसके कपड़ों पर खून के कोई धब्बे नहीं थे। उन्होंने आगे कहा है कि सविता देवी ने उसके पति पर ईंट फेंकी थी, जो उनकी दाहिनी आंख के पास लगी थी। खून उस धरती पर नहीं गिरा था जहाँ उसका पति गिरा था। उनके पति का इलाज बेगुसराय में किया गया था, लेकिन सदर अस्पताल में नहीं। उनका इलाज किसी निजी अस्पताल हुआ था। उसने पहले अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इस घटना के बारे में नहीं बताया था। अपने पति के अंतिम संस्कार होने के बाद, उसने सबसे पहले अपने ससुर को इसका खुलासा किया। उसने घटना के 15-20 दिनों बाद पुलिस के सामने अपना बयान दिया था। उसने गलत सबूत देने के सुझाव से इनकार किया है।

18. अ.सा.- 8 डॉ. अरुण कुमार ने बयान दिया है कि उन्हें सदर अस्पताल, बेगुसराय में एम. ओ. के रूप में तैनात किया गया था। उन्होंने 29 अप्रैल, 2009 को 11 बजे मृतक राजेश सिंह का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित पूर्व-शव परीक्षण चोटें पाई :-

"(i) प्रवेश-1 इंच X 1 इंच X का आग्नेयास्त्र प्रक्षेप्य घाव जो छाती के बाईं ओर गहराई से अंदर जा रहा है-2 इंच मध्य से बाएं निप्पल में उल्टा, ब्लॉक मार्जिन के साथ।

(ii) दाहिने आंख के नीचे चेहरे की युग्मनज प्रबलता के ऊपर घाव-1/2 "X 1/2" X हड्डी गहरी।

(iii) खोपड़ी के पश्चवर्ती क्षेत्र पर घाव-1 "X 1/2" X हड्डी गहरी।

चारों अंगों में मृत्यु के बाद कठोर अकड़न मौजूद था।

विच्छेदन पर- बाईं वक्ष गुहा से निकाली गई एक गोली।

मृत्यु के बाद से बीत चुका समय - 24 घंटे के भीतर।

मृत्यु का कारण - मृत्यु आग्नेयास्त्र के कारण उपरोक्त चोटों के परिणामस्वरूप न्यूरोजेनिक और रक्तस्रावी सदमे के कारण हुई है।"

19. अ.सा. 9 मनोज कुमार सिंह, जांच अधिकारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह 29.04.2009 को ज़ीरो माइल थाना में तैनात थे। उसी तारीख को, उन्हें राम नरेश सिंह का लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर 2009 का बरौनी थाना कांड संख्या 129 भा. दं. वि. की धारा-302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज किया गया था, जो उनकी कलम और हस्ताक्षर में है।उन्होंने स्वयं जाँच की ज़िम्मेदारी संभाली। उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया और शव की जांच रिपोर्ट तैयार की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने सूचना देने वाले का बयान घटना स्थल पर ही दर्ज किया। उन्होंने गवाह गोपाल सिंह, सोनी कुमारी और दिलीप कुमार के बयान भी दर्ज किए। घटना का स्थान सूचना देने वाले के पैतृक घर का बरामदा है जहाँ मृतक सो रहा था। जब वह पेशाब करने के लिए अपने बगीचे में गया, तो आरोपी व्यक्तियों ने उस पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। मृतक घायल अवस्था में आंगन में पहुंचा और नीचे गिर गया। उन्हें डॉ. शशि भूषण के क्लीनिक ले जाया गया, जिन्होंने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया और पटना जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। चूंकि मृतक की पत्नी की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने उसका बयान दर्ज नहीं किया। 04.05.2009 को उन्होंने रंजीत कुमार और रोहित कुमार के बयान दर्ज किए। उन्होंने 18.05.2009 को दं. प्र. सं. की धारा-164 के तहत स्वर्गीय राजेश कुमार की पत्नी बिंदु कुमारी उर्फ मुन्नी देवी का बयान दर्ज किया। 13.07.2009 को उन्हें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ-साथ पर्यवेक्षण नोट भी मिला। उन्होंने आगे कहा है कि घटना के 20 दिन बाद मुन्नी देवी का बयान दर्ज किया गया था।

19.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि उन्हें घटना स्थल पर ही लिखित आवेदन प्राप्त हुआ था। उन्होंने केस डायरी में पक्षों के बीच भूमि-विवाद का उल्लेख किया है।

उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने एक दोषपूर्ण जांच की है और मुन्नी देवी के साथ मिलकर आरोपी व्यक्तियों को फंसाया है।

20. हमने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की है और अपीलकर्ता/सूचक के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रदान किए गए अभियोजन-गवाहों के बयानों की टाइप की गई प्रति का अध्ययन किया है।

21. अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से यह पता चलता है कि सूचना देने वाले, जो मृतक का पिता है, द्वारा दिए गए फरदबेयान से यह कहा जा सकता है कि विचाराधीन घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और उक्त *फर्दबयान* के अनुसार, तीन व्यक्तियों को घटना स्थल से भागते देखा गया था। इसके अलावा, अ.सा. 7, जो मृतक की पत्नी है, को एक चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया है, हालांकि, अभियोजन के उक्त सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि मृतक की पत्नी की उपस्थिति के संबंध में *फर्दबयान* में कोई उल्लेख नहीं है । मृतक जीवित था और, यदि उसने अपनी पत्नी, यानी अ.सा. 7 के सामने मौखिक मृत्यु घोषणा दी होती, तो सूचना देने वाले, जो मृतक का पिता है, ने फरदबेयान में ही उक्त पहलू का खुलासा किया होता। इसके अलावा, सविता देवी और फरदबेयान में अन्य अभियुक्तों को उनके द्वारा दिए गए उकसावे के संबंध में कोई संदर्भ नहीं है। इसके अलावा, अ.सा.7 का बयान दं. प्र. सं. की धारा-161 तहत घटना की तारीख से 15-20 दिनों के बाद दर्ज किया गया था।अन्य गवाहों द्वारा दिए गए बयान से भी यह पता चलता है कि सभी गवाह मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं और इसलिए, ऐसे गवाहों द्वारा दिए गए बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। हमने मृतक के रिश्तेदारों के पूरे साक्ष्य की जांच की है और हमारा विचार है कि उक्त गवाहों द्वारा दिए गए बयान को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है और केवल उक्त गवाहों के बयान पर भरोसा करते हुए, दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है। हालाँकि, अ.सा. 5 दिलीप कुमार एक स्वतंत्र गवाह हैं, लेकिन उन्होंने गवाही दी है कि वह मृतक राजेश कुमार को जानते थे, जिनकी बंदूक की गोली से हुई चोट

के कारण मृत्यु हो गई थी।लेकिन उक्त गवाह ने विशेष रूप से कहा है कि जब वह मृतक को अस्पताल ले जा रहा था, तो मृतक कुछ शब्द बोल रहा था, लेकिन उसके बात से यह समझ में नहीं आ रहा था किसने उसपे गोली चलाई थी। इसके विपरीत, उक्त गवाह ने अपनी जिरह में विशेष रूप से स्वीकार किया है कि घटना की तारीख को मृतक की पत्नी अ.सा. 7 मुन्नी देवी अपने माता-पिता के घर पर थी और मृतक के पोस्टमार्टम के बाद आई थी। इस प्रकार, उक्त गवाह के बयान से, मृतक द्वारा अपनी पत्नी, अ.सा. 7 मुन्नी देवी को दी गई मृत्यु घोषणा के बारे में अभियोजन पक्ष के सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया जाता है।

22. यह अभियुक्त द्वारा लिया गया विशिष्ट बचाव है कि पक्षों के बीच भूमि-विवाद के कारण, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। इसके अलावा, अभियोजन-गवाहों के बयानों में बड़े विरोधाभास, असंगतियां और विसंगतियां हैं जो वर्तमान उत्तरदाताओं/अभियुक्तों द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा सामने रखी गई कहानी के संबंध में उचित संदेह पैदा करती हैं। इस प्रकार, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष उत्तरदाताओं/अभियुक्तों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

23. हमने बरी करने के आक्षेपित निर्णय को पारित करते समय निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए तर्क को भी देखा है। हमारा विचार है कि निचली अदालत ने इसे पारित करते समय कोई गलती नहीं की है।

24. तदनुसार, आक्षेपित निर्णय और दोषमुक्ति के आदेश को अनुमोदित किया जाता है। अपील को स्वीकार करने के चरण में ही खारिज कर दिया जाता है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

के.सी.झा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।